भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **– 2208**
दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पासपोर्ट शुल्क में संशोधन

2208. श्री अभिषेक बनर्जी**:**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सा.का.नि. 516 (ई) के माध्यम से अधिसूचित पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के अंतर्गत पासपोर्ट और पासपोर्ट संबंधी सेवा शुल्कों में संशोधन करने से पूर्व किसी लागत संबंधी अध्ययन, नियामक प्रभाव आकलन या वहनीयता आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) संशोधित शुल्क संरचना का विधायी, प्रशासनिक और लागत आधारित औचित्य क्या है तथा पूर्व शुल्कों की तुलना में हुई वृद्धि का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आवेदन पर कार्रवाई करने, बायोमेट्रिक्स, पुलिस सत्यापन, साइबर सुरक्षा, पासपोर्ट पुस्तिका की छपाई, ई-पासपोर्ट चिप एम्बेडिंग और प्रेषण सहित पासपोर्ट जारी करने के लिए विचार की गई घटक-वार लागत क्या है;

(घ) पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम चरण-II के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं को देय प्रति-आवेदन राशि कितनी है तथा यह चरण-I से किस प्रकार भिन्न है; और

(ङ) ई-पासपोर्ट चिप के निर्माण और इसे एम्बेड (संलग्न) करने की प्रति-इकाई लागत कितनी है तथा उक्त लागत ने संशोधित पासपोर्ट शुल्कों में कितना योगदान दिया है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह**)**

(क) से (ङ) पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं के प्रावधान की लागत, परिचालन संबंधी आवश्यकताओं और सेवा आपूर्ति में सुधार की व्यापक समीक्षा के बाद समय-समय पर पासपोर्ट शुल्क में संशोधन किया जाता है। इससे पहले 1971 [सा.का.नि. 1783 दिनांक 11.11.1971], 1980 [सा.का.नि. 691(ई) दिनांक 11.12.1980], 1993 [सा.का.नि. 503 (ई) दिनांक 10.07.1993], 2002 [सा.का.नि. 235 (ई) दिनांक 28.03.2002] और 2012 [सा.का.नि. 731 (ई) दिनांक 28.09.2012] में पासपोर्ट शुल्क में संशोधन किया गया था, और अब 2026 [सा.का.नि. 516(ई) दिनांक 25.06.2026] में संशोधन किया गया है। पासपोर्ट सेवाओं में सुधार के लिए कई पहलें की गई हैं, जिनमें उन्नत पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) संस्करण 2.0 और ई-पासपोर्ट का कार्यान्वयन शामिल है, जिससे सेवा आपूर्ति की लागत में वृद्धि के साथ-साथ पासपोर्ट सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 2012 में पिछले संशोधन के बाद से चौदह वर्षों में विभिन्न इनपुटों और सेवा आपूर्ति की लागतों में वृद्धि ने पासपोर्ट शुल्क को संशोधित करना आवश्यक बना दिया।

पासपोर्ट शुल्क में वर्तमान वृद्धि 14 वर्षों के बाद 67% **की गई** है। सुलभ संदर्भ हेतु, इसे 1971 में 4 वर्षों में 67% बढ़ाया गया था; 1980 में 9 वर्षों में 100%; 1993 में 13 वर्षों में 500%; 2002 में 9 वर्षों में 233% और 2012 में 10 वर्षों में 50% **की वृद्धि की गई थी**।

निर्धारित शुल्क के साथ पासपोर्ट आवेदनों से संबंधित प्रावधान, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 5(1) और पासपोर्ट नियम 1980 के नियम 8 में हैं। दिनांक 1 जुलाई 2026 से शुल्क में संशोधन करने वाली राजपत्र अधिसूचना की प्रति अनुबंध- I में संलग्न है। इससे पहले की शुल्क संबंधी श्रेणी-वार वृद्धि का विवरण अनुबंध- II में संलग्न है।

पासपोर्ट जारी करने में व्यय के कई घटक शामिल हैं। प्रमुख प्रत्यक्ष लागत तत्वों में पासपोर्ट बुकलेट की लागत, पासपोर्ट बुकलेट में डाटा की छपाई, सेवा प्रदाता को भुगतान, पुलिस सत्यापन के लिए पुलिस विभाग को भुगतान, डाक विभाग को भुगतान, कूरियर शुल्क, तकनीकी सहायता पर व्यय और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में सार्वजनिक कुंजी निर्देशिका के माध्यम से ई-पासपोर्ट के सत्यापन के लिए इसके परिचालन और रखरखाव सहित ई-पासपोर्ट परियोजना की लागत शामिल हैं। इसके अलावा, स्थापना और अवसंरचना से संबंधित कई अन्य व्यय हैं।

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 1.0 (चरण 1) की तुलना में सेवा प्रदाताओं को देय राशि में काफी वृद्धि हुई है और उच्च उत्पादन लागत के आधार पर, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस (आईएसपी) ने चिप आधारित ई-पासपोर्ट बुकलेट की लागत में काफी वृद्धि की है। इसके अलावा, ई-पासपोर्ट बुकलेट से जुड़ी अतिरिक्त लागतें, निजीकरण (आवेदक का डाटा मुद्रण) लागत, ई-पासपोर्ट परियोजना पर लागत और अन्य परिचालन लागते हैं।

<u>अनुबंध- I</u>

विदेश मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून, 2026

सा.का.नि.….516 (ई).. — पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 की 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची IV के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची **IV**

(नियम 8 देखें)

पासपोर्ट आवेदनों और यात्रा दस्तावेज़ के संबंध में

देय शुल्क की अनुसूची

क्रम संख्या	आवेदन का विवरण	शुल्क का प्रकार			
		सामान्य शुल्क		तत्काल शुल्क (सामान्य शुल्क के साथ)	
		भारत	विदेश	भारत	विदेश
		रु.	$	रु.	$

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. पासपोर्ट**-** **(**क**)** आवेदक **(18** वर्ष और उससे अधिक उम्र के आवेदक **/ 15** से **18** वर्ष की उम्र के नाबालिग**,** यदि इस श्रेणी के तहत आवेदन किया गया हो**)**					
1.	36 पृष्ठों वाले साधारण नए पासपोर्ट या पासपोर्ट के पुन: जारी होने के लिए	2500	125	5000	250
2.	60 पृष्ठों वाले साधारण नए पासपोर्ट या पासपोर्ट के पुन: जारी होने के लिए	3500	175	6000	300
3.	खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट के लिए, जिसमें 36 पृष्ठ होते हैं।	5000	250	7500	375
4.	खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट के लिए, जिसमें 60 पृष्ठ होते हैं।	6000	300	8500	425
(ख**)** नाबालिग आवेदक **(18** वर्ष से कम आयु के**) :**					
5.	36 पृष्ठों वाले साधारण नए पासपोर्ट या पासपोर्ट के पुन: जारी किए जाने के लिए	1750	90	4250	215
6.	खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट के लिए, जिसमें 36 पृष्ठ होते हैं।	4250	215	6750	340
II. विशेष यात्रा दस्तावेज**----**					
7.	आपातकालीन प्रमाणपत्र	लागू नहीं	15	लागू नहीं	लागू नहीं

8.	पहचान प्रमाणपत्र	1000	50	लागू नहीं	लागू नहीं
III. विविध सेवाएँ**--**					
9.	पासपोर्ट के आधार पर पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र, सरेंडर प्रमाणपत्र, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन या अन्य विविध प्रमाणपत्र जारी करना।	750	40	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी**:**

(1) " एन.ए." का अर्थ है "लागू नहीं"।
(2) क्रमांक 1(क) के तहत जारी पासपोर्ट की वैधता दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, और क्रमांक 1(ख) के तहत जारी पासपोर्ट की वैधता पांच वर्ष या आवेदक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगी।
(3) 8 वर्ष तक की आयु के नाबालिगों और वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों) के लिए नए आवेदनों (पुनः जारी करने के लिए नहीं) पर पासपोर्ट शुल्क में दस प्रतिशत की छूट होगी।

[सं. 401/01/20/2025]

(बी.एस. मुबारक)

संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

नोट.— पासपोर्ट नियम, 1980 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691(ई), दिनांक 11 दिसंबर, 1980 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 156 (ई), दिनांक 24 फरवरी, 2025 के माध्यम से इसे संशोधित किया गया था।

<u>अनुबंध- **II**</u>

पूर्ववर्ती पासपोर्ट शुल्क की तुलना में श्रेणी-वार वृद्धि का विवरण

क्रम. सं.	आवेदन का विवरण	पूर्ववर्ती शुल्क (जैसा कि 2012 में तय किया गया था) (रु. में)		संशोधित शुल्क (जैसा कि 2026 में तय किया गया है) (रु. में)	
		सामान्य शुल्क	तत्काल शुल्क (सामान्य शुल्क के साथ)	सामान्य शुल्क	तत्काल शुल्क (सामान्य शुल्क के साथ)
	I. पासपोर्ट **(**क**)** आवेदक **(18** वर्ष और उससे अधिक**, 15-18** वर्ष के नाबालिगों पर भी लागू**) :**				
1.	36 पृष्ठों वाले साधारण नए पासपोर्ट या पासपोर्ट के पुन: जारी होने के लिए	1500 रुपए	3500 रुपए	2500 रुपए	5000 रुपए
2.	60 पृष्ठों वाले साधारण नए पासपोर्ट या पासपोर्ट के पुन: जारी होने के लिए	2000 रुपए	4000	3500 रुपए	6000 रुपए
3.	खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट के लिए, जिसमें 36 पृष्ठ होते हैं।	3000 रुपए	5000 रुपए	5000 रुपए	7500 रुपए
4.	खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट के लिए, जिसमें 60 पृष्ठ होते हैं।	3500 रुपए	5500 रुपए	6000 रुपए	8500 रुपए
	(ख**)** नाबालिग आवेदक **(18** वर्ष से कम उम्र के**) :**				
5.	36 पृष्ठों वाले साधारण नए पासपोर्ट	1000 रुपए	3000 रुपए	1750 रुपए	4250 रुपए

	या पासपोर्ट के पुन: जारी होने के लिए				
6.	खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट के लिए, जिसमें 36 पृष्ठ होते हैं।	3000 रुपए	5000 रुपए	4250 रुपए	6750 रुपए
	II. विशेष यात्रा दस्तावेज़				
7.	आपातकालीन प्रमाणपत्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	पहचान प्रमाणपत्र	1000 रुपए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	III. विविध सेवाएं				
9.	पासपोर्ट के आधार पर पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र या वापसी प्रमाण पत्र या कोई और विविध प्रमाण पत्र जारी करना	500 रुपए	लागू नहीं	750 रुपए	लागू नहीं
